दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 16 सितंबर, 2013
निर्णीत तिथि: 08 नवंबर, 2013

आप.अ. 783/2012 एवं आप.वि.आ. 17117/2012

मोहम्मद इरफ़ान ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री सी. मोहन राव, अधिवक्ता सह श्री त्रिवेन्द्र चौहान, अधिवक्ता।

बनाम

राजस्व आसूचना निदेशालय ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सतीश अग्रवाल, वि.लो.अभि.

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग

न्या. एस.पी.गर्ग

1. मोहम्मद इरफान ने दिनांक 26.03.2012 को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस के सत्र मामला सं. 126/04 में दिए गए निर्णय की वैधता और सत्यता पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (ग) के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। दिनांक 27.03.2012 के आदेश के तहत उन्हें 1

लाख रुपये जुर्माने के साथ दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है:

2. दिनांक 07.04.2004 को, श्री रमन मिश्रा, आसूचना अधिकारी को दोपहर 03.00 बजे आसूचना रिपोर्ट मिली कि लगभग 27 वर्षीय और गेहुँआ रंग का मोहम्मद इरफान एक लाल और काले रंग के 'पोलो वर्ल्ड' ज़िपर बैग में लगभग 20 किलोग्राम नशीले पदार्थ/ड्रग्स लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म सं. 8/9 पर शाम लगभग 07.15 बजे आएगा। खुफिया जानकारी को एक्स अभि.सा.-2/क के रूप में लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया और अभि.सा.-24 (श्री समनजासा दास, अपर निदेशक) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह आरोप है कि एक छापा मारने वाले दल का गठन किया गया और दो सरकारी गवाहों - राजू और विजय को इसमें शामिल किया गया। लगभग 07.15 बजे, मोहम्मद इरफान एक बैग लेकर प्लेटफॉर्म सं. 8/9 की सीढ़ियों के पास खड़ा पाया गया। रोके जाने पर उसने अपनी पहचान मोहम्मद इरफान निवासी जिला मंदसूर, मध्य प्रदेश के रूप में बताई। चूंकि वह स्थान तलाशी और अन्य कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए मोहम्मद इरफान को लोधी रोड स्थित डीआरआई के कार्यालय ले जाया गया। बैग की तलाशी लेने पर उसमें 16.760 किलोग्राम वजन की हेरोइन से भरे 13 पैकेट बरामद हुए। आवश्यक कानूनी कार्यवाही की गई। दिनांक 08.04.2004 को मोहम्मद इरफान ने अधिनियम की धारा 67 के तहत अपना स्वैच्छिक बयान

(प्र.अभि.सा.-1/छ) पेश किया। जांच के दौरान पता चला कि अपीलार्थी बॉम्बे ओरिएंट होटल, 926 जामा मस्जिद और होटल सन राइज, पहाड़गंज में मोहम्मद अलमास के फर्जी नाम से रुका करता था। दिनांक 08.04.2004 को, होटल बॉम्बे ओरिएंट, 926 जामा मस्जिद के कमरा सं. 410, जहां अभियुक्त मोहम्मद अलमास के काल्पनिक नाम से रुका था, की तलाशी ली गई और वहां पड़े एक ट्रॉली बैग से नकद 30,000/- रुपए और कमरे की बुकिंग के संबंध में रसीद सं. 5646 दिनांक 07.04.2004 बरामद की गई और पंचनामा (प्र.अभि.सा.-4/क) द्वारा जब्त कर ली गई। जांच के दौरान, तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए और जांच पूरी होने के बाद, राजस्व आसूचना निदेशालय (इसके बाद 'डीआरआई' के रूप में संदर्भित) द्वारा श्री अश्विनी कुमार शर्मा, खुफिया अधिकारी के माध्यम से एक शिकायत मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने अपराध को सिद्ध करने के लिए सत्ताईस गवाहों की जांच की। साक्ष्यों का मूल्यांकन करने तथा पक्षों की प्रतिद्वंद्विता पूर्ण दलीलों पर विचार करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 21 (ग) के अन्तर्गत दोषी ठहराया। व्यथित होकर, अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख की जांच की है। अपीलार्थी की सजा मुख्य रूप से परिवादी - अभि.सा.-1 (श्री अश्विनी कुमार शर्मा, आसूचना अधिकारी) के बयान तथा अधिनियम की धारा

67 के तहत अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से स्वेच्छा से दिए गए इकबालिया बयान पर आधारित है। अभियोजन पक्ष दिनांक 07.04.2004 को लगभग 07.15 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 8/9 पर अपीलार्थी की गिरफ्तारी तथा गिरफ्तारी के बारे में उचित संदेह से परे साबित करने के लिए बाध्य था। अभि.सा.-1 (श्री अश्विनी कुमार शर्मा, आसूचना अधिकारी) ने गवाही दी कि उन्हें डीआरआई, डीजेडयू के अपर निदेशक द्वारा दोपहर 3:30 बजे आसूचना रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई थी। वे संदिग्ध को रोकने के लिए लगभग शाम 4:00 बजे दो गवाहों के साथ शामिल हुए। एक टीम बनाई गई तथा शाम 5:30 बजे वे प्लेटफार्म सं. 8/9 के लिए रवाना हुए तथा लगभग शाम 7:00 बजे वहां पहुंचे। निगरानी की गई और लगभग शाम 7:15 बजे लगभग 27 वर्षीय गेहुँआ रंग का एक व्यक्ति, जो लाल और काले रंग का 'पोलो वर्ल्ड' ब्रांड का बैग लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 8/9 की सीढ़ियों के पास आया, देखा गया और उसे रोक लिया गया। चूँकि रोके जाने का स्थान तलाशी और अन्य कार्यवाही के लिए सुरक्षित और उचित नहीं था, इसलिए मोहम्मद इरफान को बैग के साथ डीआरआई कार्यालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली लाया गया। तलाशी और 'पंचनामा' तैयार करने से संबंधित कार्यवाही दिनांक 08.04.2004 को सुबह 05.00 बजे तक वहाँ की गई। खुफिया रिपोर्ट (प्र.अभि.सा.-2/क) में संदिग्ध का नाम मोहम्मद इरफान बताया गया, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष थी और रंग गेहुँआ था, जो लाल और काले रंग के 'पोलो वर्ल्ड' ज़िपर बैग में लगभग 20 किलोग्राम मादक पदार्थ

लेकर जा रहा था। अभि.सा.-1 (श्री अश्विनी कुमार शर्मा, खुफिया अधिकारी) ने यह नहीं बताया कि संदिग्ध के पास कितनी मात्रा में मादक पदार्थ था। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि ब्रीफिंग के समय उन्हें संदिग्ध का नाम बताया गया था। संदिग्ध व्यक्ति का कोई अन्य विवरण/विशेषता उसे ज्ञात नहीं थी। अभि.सा.-2 (रमन मिश्रा) से जानकारी मिलने के तुरंत बाद, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली से दो सरकारी गवाहों को जोड़ा गया। परिवादी ने छापे में शामिल दो सरकारी गवाहों के पूरे नाम, उनके माता-पिता, पदनाम, कार्य स्थल और निवास स्थान के बारे में विस्तार से नहीं बताया। परिवादी ने छापे में शामिल दो सरकारी गवाहों के पूरे नाम, उनके माता-पिता, पदनाम, कार्य स्थल और निवास स्थान के बारे में विस्तार से नहीं बताया। प्रति परीक्षा में, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने सरकारी गवाहों की पहचान सत्यापित नहीं की थी और उन्हें नहीं पता था कि वे किसी विभाग या कार्यालय में काम कर रहे थे या नहीं। वह यह बताने में असमर्थ थे कि किस सिलसिले में दोनों सरकारी गवाह सीजीओ कॉम्प्लेक्स की छठी मंजिल पर मौजूद थे और कैसे और किन परिस्थितियों में उन्हें जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने यह पता लगाने के लिए सरकारी गवाहों की योग्यता की पुष्टि नहीं की कि वे हिंदी और अंग्रेजी से परिचित हैं या नहीं। न्यायालय के समक्ष अपने बयान में उन्होंने यह कारण नहीं बताया कि इन दोनों गवाहों को क्यों हटाया गया और उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि गवाहों ने गलत पते दिए थे और उनका पता नहीं

लगाया जा सकता था। अभियोजन पक्ष को छापा मारने वाली टीम में शामिल होने से पहले उनके द्वारा दिए गए पतों को सत्यापित करने की कोई बाध्यता नहीं थी। हालांकि, इस मामले में, मेरे विचार से, अभियोजन पक्ष के पास सरकारी गवाहों के पते का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय था। गुप्त सूचना लगभग 03.30 बजे प्राप्त हुई और संदिग्ध को 07.15 बजे गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर सरकारी गवाह अगले दिन सुबह 05.00 बजे तक परिवादी के साथ रहे। पंचनामा (प्र.अभि.सा.-1/ग) में केवल सरकारी गवाहों के नाम राजू और विजय के रूप में दर्ज हैं, उनके पते और माता-पिता के बारे में कोई और विवरण नहीं है। इन गवाहों को विशिष्ट पतों पर समन तामील करवाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए और सुविधाजनक रूप से दिनांक 02.06.2010 को अभियोजन पक्ष ने बिना कोई वैध कारण बताए उन्हें छोड़ दिया। जाहिर है, परिवादी का बयान स्वतंत्र स्रोतों/गवाहों से अपुष्ट रहा। स्वतंत्र सरकारी गवाहों को शामिल करना कोई औपचारिकता नहीं है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने से पहले अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे सरकारी गवाहों को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी जिनकी पहचान/ब्यौरे संदिग्ध न हों।

4. परिवादी यह बताने में टालमटोल कर रहा था कि छापा मारने वाली टीम में अन्य सदस्य कौन थे। परिवादी के बयान की पुष्टि करने के लिए अभियोजन पक्ष ने छापा मारने वाली टीम के किसी भी सदस्य से पूछताछ नहीं

की। गुप्त सूचना देने वाला व्यक्ति भी छापा मारने वाली टीम का सदस्य नहीं था। जिस वाहन में छापा मारने वाली टीम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गई थी, उसका चालक भी शामिल नहीं था। छापे में इस्तेमाल किए गए वाहन की आवाजाही का पता लगाने के लिए वाहन की लॉग बुक के अंश अभिलेख में नहीं रखे गए थे। अभि.सा.-1 ने प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छापे के बाद वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों/आरपीएफ कर्मियों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। वहां मौजूद किसी भी रेलवे अधिकारी को जांच या कार्यवाही में शामिल होने का अनुरोध नहीं किया गया था। प्लेटफॉर्म सं. 8/9 पर विक्रेताओं/स्टॉल मालिकों को भी किसी भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया था। जांच के दौरान परिवादी ने यह जांच नहीं की कि परिवादी प्लेटफॉर्म सं. 8/9 पर कैसे और कब पहुंचा था। उसके पास कोई रेलवे टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट नहीं पाया गया। संदिग्ध को पकड़ने के बाद स्टेशन मास्टर, जीआरपी/आरपीएफ स्टाफ या सुरक्षा प्रभारी को कोई सूचना नहीं दी गई। बेशक, गिरफ्तारी के स्थान पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और अपीलार्थी को सीधे डीआरआई, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के कार्यालय में लाया गया। उसे गिरफ्तारी के स्थान पर अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस नहीं दिया गया। अभिलेख पर ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि गिरफ्तारी का स्थान कार्यवाही के लिए अनुकूल नहीं था। परिवादी के बयान के अलावा, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलार्थी - मोहम्मद इरफान को उसके द्वारा

बताए गए तरीके और स्थान पर पकड़ा गया था। स्वतंत्र सार्वजनिक गवाहों की जांच न करने के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, जिनका अस्तित्व ही संदेह में था।

5. अभियोजन पक्ष ने अभि.सा.-3 (एन.डी.आजाद), अभि.सा.-4 (अरविंद कुमार शर्मा), अभि.सा.-10 (आसिफुद्दीन), अभि.सा.-11 (सैयद आबिद हुसैन), अभि.सा.-13 (मोहम्मद सरवर) और अभि.सा.-17 (तरुण तुली) से पूछताछ की। यह साबित करने के प्रयास में कि मोहम्मद इरफान बॉम्बे ओरिएंट होटल, 926 जामा मस्जिद और होटल सन राइज, पहाड़गंज में मोहम्मद अलमास के फर्जी नाम से रुका था। प्रासंगिक तिथियों के अतिथि रजिस्टर की फोटोकॉपी प्राप्त की गई और साबित की गई। हालांकि, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा कि मोहम्मद इरफान वह व्यक्ति था जो उक्त होटलों में मोहम्मद अलमास के फर्जी नाम से रुका था। इनमें से किसी भी गवाह ने न्यायालय में उसे होटलों का आगंतुक नहीं बताया। जब होटल बॉम्बे ओरिएंट, 926 जामा मस्जिद के कमरा सं. 410 की तलाशी ली गई, तो सरकारी गवाह इस बात से जुड़ने के लिए कोई भी सामग्री नहीं ढूंढ पाया कि 30,000 रुपये से भरा बैग अपीलार्थी का था। आगंतुकों के रजिस्टर पर लिखावट, जहां उसने अपनी लिखावट में प्रविष्टियां की थीं, तुलना के लिए अभियुक्त की स्वीकार की गई लिखावट के साथ हस्तलेखन विशेषज्ञों के पास नहीं भेजी गई थी। अपीलार्थी द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार बरामदगी प्रभावित नहीं हुई और तलाशी के समय उसे उक्त

होटल में नहीं ले जाया गया। ऐसा कोई कॉल विवरण साबित नहीं हुआ जिससे पता चले कि अपीलार्थी अपनी गिरफ्तारी से पहले किसके संपर्क में रहा था। यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी को माल किसे पहुंचाना था, और यदि पहुंचाना था तो किस स्थान और किस कीमत पर पहुँचाना था। अपीलार्थी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत स्वेच्छा से बयान देने से स्पष्ट रूप से इनकार किया। जांच के दौरान बयान की सामग्री (प्र.अभि.सा.-1/छ) गलत पाई गई। यह आरोप लगाया गया कि मन मोहन शर्मा एक रिश्तेदार है जिसके लिए अपीलार्थी काम कर रहा था। तदनुसार, जांच के दौरान, अपीलार्थी और मन मोहन शर्मा के आवासीय परिसर की तलाशी ली गई। हालांकि, वहां से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। अभियोजन पक्ष ने मन मोहन शर्मा की अभि.सा.-16 के रूप में जांच की और उसने खुलासा किया कि वह एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहा था और पिछले दस वर्षों से शिक्षक संघ का अध्यक्ष था। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि उसका मोहम्मद इरफान से कोई संबंध था।

6. यह आरोप लगाया गया था कि इकबालिया बयान में अपीलार्थी ने खुलासा किया था कि वह इंटरसिटी एक्सप्रेस से दिल्ली आया था और 07.04.2004 को लगभग 06.30 बजे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा था; होटल बॉम्बे ओरिएंट, 926 जामा मस्जिद में कमरा सं. 410 में चेक इन किया और अपने निजी सामान से भरा बैग छोड़कर केबरिया सराय चला गया; एक

अफ्रीकी व्यक्ति से उसके मोबाइल सं. 9811463504 पर संपर्क किया और उससे ₹ 30,000/- लिए और वापस होटल आ गया। उसे मन मोहन शर्मा ने बताया कि उसके द्वारा गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस द्वारा पीले रंग की शर्ट पहने एक व्यक्ति के माध्यम से 16.5 किलोग्राम हेरोइन भेजी जा रही है और उक्त व्यक्ति एसी प्रथम श्रेणी से यात्रा करेगा और उपरोक्त कोच के सामने उसका इंतजार करेगा। तदनुसार, वह शाम 07.00 बजे प्लेटफॉर्म सं. 9 पर पहुंचा और उस व्यक्ति से बैग लिया और जब वह अपने होटल वापस जा रहा था, तो उसे डीआरआई अधिकारियों ने पकड़ लिया। प्रकटीकरण कथन की सामग्री अप्रमाणित रही। जांच अधिकारी ने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस में यात्रा कर चुका है या उक्त ट्रेन उस दिन शाम 07.00 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। उक्त व्यक्ति से बैग लेने के बाद, अपीलार्थी को वहां अपनी गिरफ्तारी के लिए लगभग पंद्रह मिनट तक इंतजार करने का कोई अवसर नहीं मिला। डीआरआई अधिकारियों के पास गुप्त सूचना/खुफिया जानकारी यह नहीं थी कि प्रतिबंधित सामान वाला बैग उसे गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा। कथित गुप्त सूचना यह थी कि मोहम्मद इरफान नाम का एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म सं. 8/9 पर प्रतिबंधित सामान के साथ एक बैग लेकर आएगा। इसके अलावा, न्यायालय में गवाह के तौर पर पेश हुए मन मोहन शर्मा ने इकबालिया बयान में बताए गए कथित बयान की पुष्टि नहीं की। अभियोजन पक्ष यह पता लगाने में असमर्थ रहा कि कथित हेरोइन कहां से आई। जाहिर है, जिस इकबालिया

बयान को कथित तौर पर पेश किया गया है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब यह पूरी तरह से तय हो चुका है कि न्यायालय को स्वतंत्र स्रोतों से कथित इकबालिया बयान की पुष्टि करनी चाहिए, जिसकी इस मामले में कमी है।

7. अपीलार्थी को दिनांक 07.04.2004 को लगभग 07.15 बजे शाम को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उसकी गिरफ़्तारी अगली तारीख को सात बजे दिखाई गई और उसे गिरफ़्तारी के तुरंत बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। उसे पूरी रात लॉकअप में रखा गया और दिनांक 09.04.2004 को न्यायालय में पेश किया गया। परिवादी ने दिनांक 07.04.2004 को 07.15 बजे शाम को अपीलार्थी की गिरफ़्तारी के बाद उसे प्रभावी करने में हुई अत्यधिक देरी के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एमएलसी (प्र.अभि.सा.-1/ञ) में वह समय दर्ज नहीं है जब मोहम्मद इरफान को मेडिकल जांच के लिए पेश किया गया था।

8. अभि.सा.-2 (रमन मिश्रा) ने खुफिया जानकारी प्राप्त की और श्री एस दास को जानकारी (प्र.अभि.सा.-2/क) दी। उन्होंने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया कि वर्तमान मामले में गुप्त सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग में वरिष्ठ अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। इस तथ्य का न्यायिक फाइल के किसी भी दस्तावेज में उल्लेख नहीं है। अभि.सा. ने इस बारे में असंगत

विवरण दिया है कि परिवादी को खुफिया/गुप्त सूचना के बारे में कब जानकारी दी गई थी। परिवादी ने स्वीकार किया कि जब उन्हें गुप्त सूचना के बारे में जानकारी दी गई थी, तब उन्हें खुफिया रिपोर्ट नहीं दिखाई गई थी और उन्हें आगे की जांच करने के लिए कोई लिखित प्राधिकरण नहीं दिया गया था।

9. अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों, विरोधाभासों, चूकों और असंगतियों तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में असमर्थ रहा। यह ध्यान में रखना चाहिए कि सजा जितनी कठोर होगी, दोषसिद्धि के लिए आधार के रूप में लिया जाने वाला मामला उतना ही बड़ा होगा। आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है और दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। अपीलार्थी को तत्काल रिहा किया जाए, यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो। विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस भेजा जाए। आदेश की प्रति अपीलार्थी - मोहम्मद इरफान को अधीक्षक जेल के माध्यम से भेजी जाए।

<u>आप.वि.आ. 17117/2012</u>

प्रत्यर्थी द्वारा केस संपत्ति अर्थात 16.760 किलोग्राम हेरोइन को नष्ट करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपील स्वीकार कर ली गई है, इसलिए प्रत्यर्थी को नियमों के अनुसार प्रतिनिधि नमूनों सहित केस संपत्ति अर्थात 16.760 किलोग्राम हेरोइन को नष्ट करने की अनुमति दी जाती है।

आवेदन का निपटान किया जाता है।

(एस.पी.गर्ग)

न्यायाधीश

नवंबर 08, 2013/*ट्र.*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*